प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 23 मार्च, 2017

विषयः प्रदेश में ओवरलोड माल वाहनों/अवैध/डग्गामार वाहनों के संचालन पर प्रभावी रोक-थाम किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में ओवरलोड माल वाहनों/अवैध/डग्गामार वाहनों के संचालन से कई गम्भीर कठिनाईयॉ उत्पन्न होती हैं, यथा सड़कों की हालत अत्यन्त जर्जर होने, प्रदूषण में बढ़ोत्तरी तथा अधिक सड़क दूर्घटनाऐं होती हैं, जिससे जनहानि के साथ-साथ राजस्व की भी क्षति होती है। ओवरलोड माल वाहनों/अवैध/डग्गामार वाहनों के संचालन को रोकने के लिये शासन स्तर से समय-समय पर कड़े निर्देश दिये गये हैं तथा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाये जाते रहे हैं। परन्तु अभी भी इस समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं हो पाया है। ओवरलोड माल वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही के साथ-साथ "प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रापर्टी एक्ट" 1984 के अधीन अपेक्षित प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2- प्रायः यह भी देखने में आया है कि नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित टैम्पों/अन्य सवारी वाहन निर्धारित रूट पर संचालन करते नहीं पाये जाते हैं और नियत स्टापेज पर वाहन खड़े करने के स्थान पर सड़क पर ही अनियंत्रित तरीके से सवारियों को बीच सड़क पर ही उतारने/बैठाने का कार्य करते हैं। फलस्वरूप यातायात के दबाव के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि ऐसे वाहन अपने निर्धारित रूट पर ही संचालित हों तथा पार्किंग के लिये निर्धारित स्थल पर ही पार्क कियें जायं।

3. उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को देखते हुए ओवरलोड माल वाहनों/अवैध/डग्गामार वाहनों के संचालन के विरूद्ध प्रभावी रूप से कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ओवरलोड माल वाहनों/अवैध/डग्गामार वाहनों के संचालन को प्रभावी रूप से रोक-थाम किये जाने हेतु तत्काल प्रभाव से 15 दिन का विशेष अभियान दिनांक 24.03.2017 से चलाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस अभियान हेतु परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। परिवहन आयुक्त का यह दायित्व होगा कि प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जनपद स्तर से कृत कार्यवाही की सूचनायें प्राप्त एवं संकलित करके अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी सहित शासन को प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगें। उक्त के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, नगर विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित करेंगें कि नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित टैम्पों/अन्य सवारी वाहन निर्धारित रूट पर ही संचालित हों तथा नियत स्टापेज पर ही वाहन खड़े हों।

4- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्रतिदिन परिवहन आयुक्त को अवश्य प्रेषित कर दें।

भवदीय,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव।

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2017/460(1)/तीस-4-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को इस अभियान हेतु समुचित पुलिस बल देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, भू-तत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि खनन की निकासी/संचरण से संबंधित जनपदों में ओवरलोड की रोक-थाम हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया विशेष अभियान का प्रतिदिन अनुश्रवण करें ।
4. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ को कृपया अनुपालनार्थ।
6. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तदनुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दें तथा विशेष अभियान का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए प्रत्येक दिन शासन को अपनी आख्या प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया अभियान के दौरान समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।